



Neutral Citation No.- 2026:AHC:18124

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-4551 वर्ष 2024

संचम यादव आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अजिताभ चौबे, कल्प देव मिश्रा, प्रदीप कुमार, रघुवंश मिश्रा, राजर्षि

गुप्ता, विराट वैभव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: देवेन्द्र यादव, अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची का पुनः पुकार किया गया। आज दायर किए गए पूरक हलफनामे को अभिलेखों पर लिया जाता है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री रघुवंश मिश्रा और सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री देवेन्द्र यादव के साथ-साथ राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम धर मोर्य को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
3. आवेदक ने 2022 के अपराध संख्या-350 में धारा 302, 307, 504, 34 भ०द०वि० और धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम, थाना-तरावा, ज़िला: आजमगढ़ के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत मांगी है।

अभियोजन की कहानी:

4. आवेदक ने सूचनाकर्ता रवि शेष यादव के भाई की गोली चलाकर हत्या की थी और सूचनाकर्ता को भी घायल कर दिया था, जिससे उसके पैर में गोली लगी थी।
5. प्राथमिकी 18.12.2022 को सुबह 06:28 बजे दर्ज की गई थी।

आवेदक की ओर से तर्क:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे झूठा फंसाया गया है।
7. प्राथमिकी में अपराध की कोई तारीख और समय का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए इसमें देरी होती है।
8. सूचनाकर्ता के पूरक बयान में, अपराध का समय 17.12.2022, 08:40 बजे बताया गया है। यदि उक्त कथन को सही माना जाता है, तो भी प्राथमिकी में लगभग दस घंटे की देरी होती है और उक्त देरी का कोई स्पष्टीकरण भी नहीं होता है।
9. घायल व्यक्ति की चिकित्सा जांच करने वाले डॉक्टर ने घायल के शरीर पर निम्नलिखित चोटों को देखा:-
 - "(i) एक गोलाकार पंगु घाव (प्रवेश घाव) बाएं पैर के महान पैर के अंगूठे पर 0.5 x 0.5 सेमी, 1 सीएम डिस्टल से एमसीपी आईएस.टी. जोड़ (पृष्ठीय पहलू)
 - (ii) बाएं हथलाकार पहलू 2 सेमी के ऊपर एक गोलाकार पंगु घाव (निकास घाव) 1 एमसीपी जोड़ (पामर पहलू) के समीपस्थ;
10. उक्त चोट रिपोर्ट में, संबंधित डॉक्टर द्वारा कहीं भी मार्जिन का उल्लेख या अवलोकन नहीं किया गया है। यहां तक कि घायलों की मेडिकल जांच करने वाले डॉक्टर द्वारा निकास घाव के आयामों का भी उल्लेख नहीं किया गया है।
11. पूरक रिपोर्ट आने तक राय को लंबित रखा गया था, लेकिन पूरक रिपोर्ट अभिलेखों पर नहीं है। चोटों की प्रकृति और अवधि के बारे में कोई राय नहीं है।
12. मेडिकल जांच रिपोर्ट करने वाले डॉक्टर ने 'पामर एस्पेक्ट' शब्द लिखा है, जो हथेली में है न कि पैर पर, इस तरह घायल व्यक्ति की पूरी मेडिकल रिपोर्ट प्रहसन है और मूल रिपोर्ट को दबा दिया गया है या रोक दिया गया है। इस प्रकार, उक्त चोट रिपोर्ट जो ओवरराइटिंग से भरी हुई है, पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।
13. गवाह की जिरह में यह सामने आया है कि घायल व्यक्ति को लगी चोटें उसके शरीर के सामने की तरफ हैं। बताया जा रहा है कि आग उसकी पीठ से यानी दक्षिण की ओर से लगी थी। उक्त विरोधाभास झूठे निहितार्थ की मात्रा को दर्शाता है। इसका तात्पर्य यह भी है कि आवेदक आरोपी नहीं है।



14. उक्त चोट रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि घायल व्यक्ति को उमा कांत यादव (चचेरे भाई) द्वारा लाया गया था और चिकित्सा जांच 17.12.2022 को लगभग 11:15 बजे आयोजित की गई थी।

15. मृतक की जांच रिपोर्ट 18.12.2022 को तैयार की गई थी और इसे सुबह 8:15 बजे शुरू किया गया था और रात 11:30 बजे पूरा किया गया था।

16. उक्त गवाह, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने सूचनाकर्ता को उसकी चिकित्सा जांच के लिए ले लिया था, जांच कार्यवाही में पंच गवाह संख्या-2 है।

17. जांच के दौरान, सूचनाकर्ता ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि उक्त उमा कांत यादव घटनास्थल पर या गांव में मौजूद नहीं थे, इस प्रकार, उक्त दस्तावेज केवल मामले को छिपाने के लिए समय से पहले तैयार किए गए हैं।

18. आवेदक को सौंपा गया आपराधिक इतिहास समझाया गया है। आवेदक 22.12.2022 से जेल में बंद है, इस प्रकार कारावास की अवधि तीन वर्ष से अधिक है। आज तक केवल एक गवाह से पूछताछ की गई है, इस प्रकार, निकट भविष्य में विचारण के समापन की कोई संभावना नहीं है। आवेदक परीक्षण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

राज्य/सूचनाकर्ता की ओर से तर्क:

19. आवेदक का दस मामलों का लंबा आपराधिक इतिहास है और सभी मामले गंभीर प्रकृति के हैं, इस प्रकार, वह जमानत का हकदार नहीं है।

निष्कर्ष:

20. प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य, (2020) 11 एस.सी.सी. 648 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने देखा है कि एक आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामलों का लंबित होना जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है, यदि अन्यथा जमानत के लिए उसका मामला बन जाता है।



21. "जब तक दोषी साबित न हो जाए, तब तक निर्दोषता की धारणा" का प्रसिद्ध सिद्धांत, एक नियम के रूप में ज़मानत और अपवाद के रूप में कारावास की अवधारणा को जन्म देता है।

22. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को केवल इसलिए नहीं छीना जा सकता है क्योंकि उस व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप लगाया जाता है जब तक कि अपराध एक उचित संदेह से परे स्थापित नहीं हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी का भी जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता तब तक नहीं छीनी जा सकती जब तक कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, और प्रक्रिया न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। उक्त सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सर्तेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, 2022 आई.एन.एस.सी. 690** में दोहराया गया है।

23. उपरोक्त दृष्टिकोण को दोहराते हुए, **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय 2024 आई.एन.एस.सी. 595** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से इस बात पर जोर दिया है कि कानून के बहुत अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत कि ज़मानत को सजा के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए, को भुलाया नहीं जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि न्यायालयों को इस सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए कि "ज़मानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है"।

24. अपर शासकीय अधिवक्ता/राज्य विधि अधिकारी किसी भी असाधारण परिस्थितियों को सामने नहीं ला सके जो आवेदक को ज़मानत से इनकार कर दे।

25. यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि ज़मानत का उद्देश्य मुकदमे में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। आवेदक के न्याय से भागने या न्याय की प्रक्रिया को बाधित करने या अपराधों को दोहराने या गवाहों को डराने आदि के रूप में अन्य परेशानियां पैदा करने का कोई भौतिक विवरण या परिस्थितियां अपर शासकीय अधिवक्ता/राज्य विधि अधिकारी द्वारा नहीं दिखाई गई हैं।

26. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, आवेदक की कैद की अवधि को ध्यान में रखते हुए और यह एक स्वीकृत तथ्य है कि आज तक केवल एक गवाह की जांच की गई है, और मामले के



गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने ज़मानत के लिए मामला बनाया है। ज़मानत आवेदन की **अनुमति** है।

27. उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक- संचम यादव को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत मुचलका और दो-दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए।

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

28. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा। बांड स्वीकार करने से पहले आवेदक और ज़मानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण को संबंधित अदालत द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

29. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत के मद्देनजर जैसा कि **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एस.सी.सी. 702**, के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है, अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए।

30. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश को प्रभावित नहीं करेंगी।

जनवरी 27, 2026

(रवि कांत)

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)